

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 102

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2566.50	2.00	2568.50	3389.56	7.76	3397.32	3392.90	4.06	3396.96	3435.85	6.47	3442.32
वसूलियां	-22.80	...	-22.80
प्राप्तियां
निवल	2543.70	2.00	2545.70	3389.56	7.76	3397.32	3392.90	4.06	3396.96	3435.85	6.47	3442.32
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.50	...	41.50	41.86	2.37	44.23	38.15	2.57	40.72	41.73	2.92	44.65
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. राष्ट्रीय सेवा योजना	186.79	...	186.79	324.61	0.39	325.00	222.46	0.19	222.65	249.55	0.45	250.00
3. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
3.01 राष्ट्रीय युवा कोर	75.00	...	75.00	70.00	...	70.00	75.00	...	75.00
3.02 युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	22.00	...	22.00	32.85	...	32.85	22.00	...	22.00
3.03 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	1.40	...	1.40	23.11	...	23.11	53.33	...	53.33	11.70	...	11.70
3.04 युवा छात्रावास	1.90	5.00	6.90	1.70	1.30	3.00	1.90	3.10	5.00
3.05 स्काउटिंग और गाइडिंग	1.50	...	1.50	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75
3.06 राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम	12.00	...	12.00	18.00	...	18.00	9.00	...	9.00
3.07 युवा पोर्टल-युवार नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता	13.30	...	13.30
जोड़- राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	1.40	...	1.40	135.51	5.00	140.51	176.63	1.30	177.93	133.65	3.10	136.75
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
4. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम	8.47	...	8.47
5. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम												
5.01 कार्यक्रम घटक	18.04	...	18.04
6. राष्ट्रीय युवा कोर	65.93	...	65.93
7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	12.98	...	12.98
8. स्काउटिंग और गाइडिंग	0.75	...	0.75
9. युवा छात्रावास	0.95	2.00	2.95

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	107.12	2.00	109.12
10. खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु सहायता												
10.01 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	196.10	...	196.10
10.02 खेलों में मानव संसाधन विकास योजना	1.79	...	1.79
जोड़- खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु सहायता	197.89	...	197.89
11. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	45.24	...	45.24	45.00	...	45.00	84.00	...	84.00	39.00	...	39.00
12. राष्ट्रीय खेल विकास निधि	16.00	...	16.00	15.00	...	15.00	46.00	...	46.00	18.00	...	18.00
13. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
14. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना	2.00	...	2.00
15. राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता	76.77	...	76.77	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	340.00	...	340.00
16. खेल में मानव संसाधन विकास योजना	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	3.10	...	3.10
17. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र	6.98	...	6.98	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
18. खेलो इंडिया	596.39	...	596.39	1000.00	...	1000.00	880.00	...	880.00	900.00	...	900.00
19. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00	8.00	...	8.00
20. राष्ट्रमंडल खेल	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1241.58	2.00	1243.58	1908.12	5.39	1913.51	1785.09	1.49	1786.58	1701.31	3.55	1704.86
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
21. नेहरू युवा केंद्र संगठन	337.45	...	337.45	401.49	...	401.49	402.30	...	402.30	426.00	...	426.00
22. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	18.90	...	18.90	24.50	...	24.50	23.50	...	23.50	26.50	...	26.50
23. मेरा युवा भारत	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00
24. भारतीय खेल प्राधिकरण	741.14	...	741.14	785.52	...	785.52	795.77	...	795.77	822.60	...	822.60
25. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	61.00	...	61.00	75.00	...	75.00	70.65	...	70.65	78.51	...	78.51
26. राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला	16.20	...	16.20	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	22.00	...	22.00
27. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी	16.31	...	16.31	21.73	...	21.73	21.73	...	21.73	22.30	...	22.30
28. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय	107.84	...	107.84	83.21	...	83.21	91.90	...	91.90
29. अन्य स्वायत्त निकाय	89.42	...	89.42
जोड़-स्वायत्त निकाय	1280.42	...	1280.42	1435.58	...	1435.58	1566.66	...	1566.66	1689.81	...	1689.81
अन्य												
30. विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
31. वास्तविक वसूलियां	-22.80	...	-22.80
जोड़-अन्य	-19.80	...	-19.80	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1260.62	...	1260.62	1439.58	...	1439.58	1569.66	...	1569.66	1692.81	...	1692.81
कुल जोड़	2543.70	2.00	2545.70	3389.56	7.76	3397.32	3392.90	4.06	3396.96	3435.85	6.47	3442.32

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. खेल और युवा मामले	2508.89	...	2508.89	2979.21	...	2979.21	3040.35	...	3040.35	3062.87	...	3062.87
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	34.81	...	34.81	41.86	...	41.86	38.15	...	38.15	41.73	...	41.73
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.00	2.00	...	7.75	7.75	...	4.06	4.06	...	3.09	3.09
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.37	3.37
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2543.70	2.00	2545.70	3021.07	7.75	3028.82	3078.50	4.06	3082.56	3104.60	6.46	3111.06
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	368.49	...	368.49	314.40	...	314.40	331.25	...	331.25
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़-अन्य	368.49	0.01	368.50	314.40	...	314.40	331.25	0.01	331.26
कुल जोड़	2543.70	2.00	2545.70	3389.56	7.76	3397.32	3392.90	4.06	3396.96	3435.85	6.47	3442.32

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी/ युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एन एस एस का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कूल स्तर पर किया जाता है। एन एस एस का लक्ष्य छात्रों के सामाजिक विवेक को जाग्रत करना और उन्हें सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।

3.01. **राष्ट्रीय युवा कोर:** राष्ट्रीय युवा कोर उप-योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वेच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्रावधान मानदेय के भुगतान लिए है।

3.02. **युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम उप-योजना 10वीं योजनावधि के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामतः युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है। बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय समेकित बजट का प्रावधान है। इससे परिचालन प्रक्रिया

तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरूपता होगी। इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं।

3.03. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत प्रावधान बहुपक्षीय निकायों, युवा आदान-प्रदान प्रतिनिधिमंडलों आदि में योगदान के लिए है।

3.04. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। यह प्रावधान युवा छात्रावासों के चल रहे निर्माण पर खर्च को पूरा करने और मौजूदा छात्रावासों की मामूली मरम्मत और छात्रावास प्रबंधकों और वार्डन को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए है।

3.05. **स्काउटिंग और गाईडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है।

3.06. **राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम:** राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम उप-योजना का लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।

3.07. **युवा पोर्टल-युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता:** यह प्रशिक्षित और कुशल युवा स्वयंसेवकों का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस बनाना के लिए है।

11. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु नकद पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है। इसमें खिलाड़ियों को विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि देने का प्रावधान भी शामिल है।

12. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि:** इस निधि को 1998 में चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1890 के तहत सामान्य रूप से खेलों को बढ़ावा देने और विशेष रूप से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

14. **खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना:** यह विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता के लिए है, जिन्होंने खेल में देश का गौरव बढ़ाया था।

15. **राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता:** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसरों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

16. **खेल में मानव संसाधन विकास योजना:** खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना खेल विकास के शैक्षणिक और बौद्धिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के तहत खेल और खेलों से संबंधित विशिष्ट विषयों में फैलोशिप प्रदान की जाती है। सेमीनार, क्लिनिकल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, क्वालिफाइंग एग्जाम और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

17. **राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र:** देश में खेलों और खेलों के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान केंद्र विकसित किया जा रहा है जिसकी हब और स्पोक मॉडल के तहत देश के अन्य हिस्सों में शाखाएं होंगी।

18. **खेलो इंडिया:** खेलों इंडिया स्कीम एक समावेशी योजना है, जिसका उद्देश्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जो कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनसंख्या को इसके लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो बच्चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवसर प्रदान करता है।

19. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी:** यह स्कीम शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जम्मू एवं कश्मीर में खेल अवसरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को अपग्रेड तथा विकसित किया जाएगा।

21. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक स्वायत्त निकाय है जो समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह गैर-

विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अब 29 राज्य कार्यालय हैं जो देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

22. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। आर जी एन आई वाई डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संसद से अधिनियम संख्या 35/2012 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित है।

23. **मेरा युवा भारत:** मेरा युवा भारत का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करके उनके व्यक्तित्व और चरित्र को मजबूत और विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है।

24. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

25. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

26. **राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला:** राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा मामलों और खेल मंत्रालय में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित एक प्रमुख विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान संगठन है। यह मानव खेल डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार देश की एकमात्र प्रयोगशाला है।

27. **नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी:** राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (एनएडीए) की स्थापना 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। प्राथमिक उद्देश्य वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमावली को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

28. **राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 के अधिनियमन द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह भारत में पहला पूर्ण विकसित खेल विश्वविद्यालय होगा, जिसका विशेष ध्यान खेल विज्ञान के विकास और एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए उच्च मानक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होगा।

30. **विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी:** यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी निकाय वाडा में योगदान के लिए है।